

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013—वैशाख 20, शक 1935

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 772-882-2013-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)
1.	श्री राकेश कुमार शर्मा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर.
2.	श्री अखिलेश कुमार धाकड़	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर.

R. No. 772-882-2013-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) read, with sub-section (2) of Section 8 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, with the approval of the Chief Justice of the High Court, hereby appoints the Judicial Officers specified in column (2) of the Table below as Presiding Officer of the Labour Court specified in column (3) thereof:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Presiding Officer of Labour Court (3)
1.	Shri Rakesh Kumar Sharma	Presiding Officer, Labour Court, Indore.
2.	Shri Akhilesh Kumar Dhakad	Presiding Officer, Labour Court, Mandasaur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.